

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 79-अ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2006—फाल्गुन 19, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 9 मार्च, 2006

क्रमांक 2073/21-अ/प्रारूपण/04.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-2-2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 12 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) अधिनियम, 2006

वित्तीय वर्ष 2005-2006 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2006 है.
- वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये राज्य की संचित निधि में से 376, 67, 99, 294 रुपयों का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग तीन सौ छियत्तर करोड़ सड़सठ लाख निन्यानवे हजार दो सौ चौरानवे रुपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बाबत वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान दिये जाने होंगे और उपयोजित की जा सकेंगे.
- विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक (1)	सेवाएं और प्रयोजन (2)	निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान-सभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारित रुपये	योग रुपये
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा.	0	100	100
	भारत विनियोग-लोक ऋण	0	100	100
01	सामान्य प्रशासन	1,12,00,000	0	1,12,00,000
03	पुलिस	100	0	100
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	95,61,000	0	95,61,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	31,12,08,394	0	31,12,08,394
10	वन	6,15,00,000	0	6,15,00,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	14,00,00,000	0	14,00,00,000

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and Purposes	Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund (3)	Total	
(1)	(2)				
		Rs.	Rs.	Rs.	
	Charged Appropriation- Interest Payments and Servicing of Debt.	Revenue	0	100	100
	Charged Appropriation- Public Debt.	Capital	0	100	100
01	General Administration	Revenue	1,12,00,000	0	1,12,00,000
03	Police	Revenue	100	0	100
04	Other expenditure pertaining to Home Department.	Revenue	95,61,000	0	95,61,000
06	Expenditure pertaining to Finance Department.	Revenue	31,12,08,394	0	31,12,08,394
10	Forest	Revenue	6,15,00,000	0	6,15,00,000
11	Expenditure pertaining to Commerce and Industry Department.	Capital	14,00,00,000	0	14,00,00,000
12	Expenditure pertaining to energy Department.	Capital	2,00,00,00,000	0	2,00,00,00,000
16	Expenditure pertaining to Fisheries Department.	Revenue	8,38,000	0	8,38,000
19	Public Health and Family Welfare.	Revenue	7,24,400	0	7,24,400
20	Public Health Engineering	Revenue	0	16,56,000	16,56,000
22	Urban Administration and Development Department- Urban Bodies.	Revenue	8,21,000	0	8,21,000
24	Public works-roads and bridges.	Revenue	2,00,00,000	0	2,00,00,000
27	School education	Capital	20,00,00,000	0	20,00,00,000

(1)	(2)	(3)			
			Rs.	Rs.	Rs.
29	Administration of Justice and Elections.	Revenue	3,65,00,000	42,70,000	4,07,70,000
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department.	Revenue	19,78,00,000	0	19,78,00,000
32	Expenditure pertaining to Public Relations Department.	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000
33	Expenditure pertaining to Tribal Welfare Department.	Revenue	0	5,50,000	5,50,000
36	Transport	Revenue	4,80,000	0	4,80,000
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue	28,20,04,000	0	28,20,04,000
43	Expenditure pertaining to Sports and Youth Welfare Department.	Revenue	1,54,000	0	1,54,000
47	Man-Power Planning and Technical Education Department.	Revenue	12,94,000	0	12,94,000
55	Expenditure pertaining to Women and Child Welfare.	Revenue	13,80,59,000	0	13,80,59,000
		Capital	9,50,000	0	9,50,000
56	Rural Industries	Revenue	13,00,000	0	13,00,000
64	Special Component Plan For Scheduled Castes.	Revenue	3,31,34,000	0	3,31,34,000
		Capital	85,35,000	0	85,35,000
67	Public Works-Buildings	Capital	2,25,60,000	0	2,25,60,000
69	Expenditure pertaining to Urban Administration and Development Department-Urban Welfare.	Revenue	5,00,00,000	0	5,00,00,000
79	Expenditure pertaining to Medical Education Department.	Revenue	200	0	200
81	Financial assistance to Urban bodies.	Revenue	22,17,00,000	0	22,17,00,000
	Total Revenue		1,38,82,78,094	64,76,100	1,39,47,54,194
	Capital		2,37,20,45,000	100	2,37,20,45,100
	Grand Total		3,76,03,23,094	64,76,200	3,76,67,99,294

(1)	(2)	(3)			
			रुपये	रुपये	रुपये
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	200	0	200
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	22,17,00,000	0	22,17,00,000
	योग - राजस्व		1,38,82,78,094	64,76,100	1,39,47,54,194
	पूंजी		2,37,20,45,000	100	2,37,20,45,100
	वृहद योग		3,76,03,23,094	64,76,200	3,76,67,99,294

रायपुर, दिनांक 9 मार्च, 2006

क्रमांक 2073/21-अ/प्रारूपण/04.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विनियोग क्रमांक-1 अधिनियम, 2006 (क्र. 12 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 12 of 2006)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 1) ACT, 2006

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2005-2006.

Be it enacted by the Chhattisgarh legislature in the Fifty Seven year of the Republic of India as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Chhattisgarh appropriation Act, 2006.

Issue of Rs. 376,67,99,294 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2005-2006.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Three Hundred Seventy Six Crore Sixty Seven Lakh Ninety Nine Thousand Two Hundred Ninety Four rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2005-2006 in respect of services specified in column (2) of the schedule.

Appropriation.

3. the sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

(1)	(2)		रुपये	रुपये	रुपये
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	पूँजी	2,00,00,00,000	0	2,00,00,00,000
16	मछली पालन	राजस्व	8,38,000	0	8,38,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	7,24,400	0	7,24,400
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	0	16,56,000	16,56,000
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय निकाय.	राजस्व	8,21,000	0	8,21,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000
27	स्कूल शिक्षा	पूँजी	20,00,00,000	0	20,00,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	3,65,00,000	42,70,000	4,07,70,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	19,78,00,000	0	19,78,00,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	0	5,50,000	5,50,000
36	परिवहन	राजस्व	4,80,000	0	4,80,000
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	28,20,04,000	0	28,20,04,000
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	1,54,000	0	1,54,000
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति मियोजन विभाग.	राजस्व	12,94,000	0	12,94,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व पूँजी	13,80,59,000 9,50,000	0 0	13,80,59,000 9,50,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	13,00,000	0	13,00,000
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना.	राजस्व पूँजी	3,31,34,000 85,35,000	0 0	3,31,34,000 85,35,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूँजी	2,25,60,000	0	2,25,60,000
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय कल्याण.	राजस्व	5,00,00,000	0	5,00,00,000